**न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी** : आशीष जयपाल
**R.J.S.**
**विविध दीवानी प्रकरण संख्या** : 12/2021

1— प्यारा सिंह पुत्र श्री सुरेण सिंह, निवासी सूरेवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी.....

**बनाम**

1— चरण सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

2— गुरदेव सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

3— परमजीत सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

4— कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

5— गगनदीप पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण.....

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39**
**नियम 1 व 2 सीपीसी**

**उपस्थिति :—**
1— श्री हेमसिंह खींची, सुमित अरोड़ा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2— श्री अनिल सिडाना, विकम यादव व सुखवीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

**आदेश** **दिनांक : 22—04—2022**

**01.** प्रार्थी प्यारा सिंह ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा वार्ड नंबर 05, ग्राम सूरेवाला में एक भूखण्ड संख्या 61 में से साईज 10 गुणा 60 फुट जिसके उत्तर में मकान प्रेमप्रकाश, दक्षिण में भूखण्ड संख्या 60 व शेष हिस्सा भूखण्ड केसर सिंह, पूर्व में गली आम व पश्चिम में भूखण्ड संख्या 54 व 55 है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 के दादा श्री केसर सिंह जिसका स्वर्गवास हो चुका है, से दिनांक 15.03.2004 को खरीद किया हुआ है तथा इस संबंध में श्री केसर सिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक लिखित दिनांक 15.03.2004 निष्पादित व नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित करवाकर प्रार्थी को सुपुर्द की हुई है तथा मौका पर उसी दिन कब्जा भूखण्ड प्रार्थी को सुपुर्द किया गया तब से ही प्रार्थी का इस भूखण्ड पर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त आवासीय भूखण्ड खरीद करने के पश्चात् पक्की चारदीवारी की हुई है तथा उसमें चारपाई, बनसटी, पेड़ की लकडियां व

गोबर की खाद आदि डाली हुई है तथा लकडी का गेट लगाया हुआ है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के परिवार के ही सदस्य है, आपराधिक किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थी के उक्त खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूखण्ड पर नाजायज कब्जा कर हडपना चाहते हैं। दिनांक 12.09.2021 को प्रार्थी अपने उक्त भूखण्ड में गोबर की खाद इकट्ठी कर रहा था, तब अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी के भूखण्ड में घुस आये और प्रार्थी को उक्त भूखण्ड से बेदखल करने की धमकी देने लगे। अप्रार्थीगण प्रार्थी के वादपत्र की धारा 2 में वर्णित भूखण्ड से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इस अनुचित व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी को उसके आधिपत्य व धारण के भूखण्ड से उसे अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक बेदखल कर देने प्रार्थी के कानूनी अधिकारों का हनन होगा। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद प्रार्थी के अधिपत्य व धारण एवं खरीदशुदा भूखण्ड संख्या 61 से प्रार्थी को बेदखल करने से व प्रार्थी के इस भूखण्ड के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करने से निषिद्ध रहे।

02. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में अभिकथित भूखण्ड 10 गुणा 60 फीट की जगह गली आम होना बताया गया था इसलिए प्रार्थी समस्त कथन मिथ्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के दादा केसर सिंह द्वारा कोई दस्तावेज निष्पादित व अनुप्रमाणित नहीं करवाया गया था। प्रार्थी द्वारा फर्जी व कूटरचित बिना प्रतिफल दस्तावेज शपथ पत्र दिनांक 15.03.2004 की रचना की गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी का उक्त स्वामित्व व धारण के भूखण्ड पर जहां पूर्व में 11 गुणा 9 फुट 9 ईंच का कमरा बना हुआ था, की जगह अप्रार्थी ने 20 गुणा 10 फीट का कमरा निर्माण किया हुआ है जिसके बेल्डिंग वर्कशॉप अप्रार्थीगण ने किराये पर गुरजंट सिंह पुत्र श्री काबुल सिंह को दी हुई है। अगर माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि अप्रार्थीगण की किराये पर दी गई वर्कशॉप तथाकथित भूखण्ड में कार्य कर रही है, इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इस संबंध में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी को बेदखल करने व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि पूर्व के वाद दीवानी वाद संख्या 09/11 में जो कि दिनांक 16.12.2017 को निर्णीत हुआ की तनकी संख्या 2 प्रार्थी प्यारा सिंह के विरूद्ध निर्णीत की गयी जिसमें प्रार्थी केसर सिंह का भूखण्ड साबित करने में असफल रहा। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व व धारण में चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

03. प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण बाबत् न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

## —: <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :—

04. प्रथम दृष्ट्या मामले के संबंध में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दौराने बहस प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पेश किए गए कथनों की पुनरावृति करते हुए यह कथन किया है कि ग्राम सूरेवाला में वार्ड नंबर 05 में भूखण्ड संख्या 61 में से साईज 10 गुणा 60 फुट जिसके उत्तर में मकान प्रेमप्रकाश, दक्षिण में भूखण्ड संख्या 60 व शेष हिस्सा भूखण्ड केसर सिंह, पूर्व में गली आम व पश्चिम में भूखण्ड संख्या 54 व 55 है, को प्रार्थी ने केसर सिंह से दिनांक 15.03.2004 को खरीद किया था व इस संबंध में केसर सिंह ने एक शपथ पत्र दिनांक 15.03.2004 को निष्पादित पब्लिक नोटेरी से अनुप्रमाणित करवाकर प्रार्थी को सुपुर्द किया था। उक्त दस्तावेज दिनांक 15.03.2004 की प्रति प्रार्थी ने पेश की व साथ ही यह कथन किया कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। जिसके जवाब में अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने पूर्व में भी सिविल न्यायालय, टिब्बी में वर्ष 1998 को प्यारा सिंह बनाम चरण सिंह वाद पेश किया था, जो कि दिनांक 05.04.2003 में अदम पैरवी में खारिज हो गया था व उसी वाद के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिस वाद की अपील को भी माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या—02, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 12.07.2001 को निरस्त कर दिया। इसी भूखण्ड बाबत् एक वाद वर्ष 2011 में भी प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, टिब्बी में प्यारा सिंह बनाम केसर सिंह पेश किया गया, जो कि दिनांक 16.12.2017 को खारिज किया गया। अप्रार्थी ने उक्त वाद के निर्णय की प्रति अपने कथनों के समर्थन में पेश की है। अप्रार्थी ने यह भी आपत्ति उठाई कि पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्रों में प्रार्थी द्वारा अभिकथित भूखण्ड की जगह को गली आम बताया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को दिनांक 15.03.2004 को खरीदशुदा किया जाना व स्वयं का कब्जा होना बताया है। अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं—

1- **Om Prakash & Anr. Vs Ram Vilas & Ors. 2016(2) CJ(Civ.) (Raj.) 786**
2- **Ramswaroop Vs Rajulal & Ors. 2016(2) CJ(Civ.) (Raj) 962**

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया व मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामले में न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूखण्ड को केसर सिंह से खरीद करना बताया है, उसके संबंध में एक शपथ पत्र दिनांक 15.03.2004 का पेश किया है, परन्तु उक्त पेश दस्तावेज केवल एक शपथ पत्र है, जिससे यह साबित नहीं होता कि उक्त भूखण्ड को प्रार्थी ने केसर सिंह से खरीद किया था। साथ ही जहां तक की विवादित भूखण्ड पर कब्जे का प्रश्न है, इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी साक्षी या दस्तावेज पेश नहीं किए गए है। जबकि अप्रार्थी के द्वारा अपने समर्थन में पेश किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने पूर्व में भी उक्त भूखण्ड के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद पेश किया था, जिसमें प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को गली आम होना बताया था जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में उक्त भूखण्ड को केसर सिंह से खरीद करना बताया है। उक्त भूखण्ड को प्रार्थी ने केसर सिंह से खरीद किया है, यह साक्ष्य का प्रश्न है, जो कि मूल वाद के साथ तय किया जाएगा। अतः इस स्तर पर प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

## —: <u>सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति</u> :—

05. दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रश्नगत भूखण्ड को केसर सिंह से खरीद किये जाने व उस पर स्वयं का कब्जा होने के संबंध में ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किए हैं, जिससे स्पष्ट होता हो कि प्रश्नगत उक्त भूखण्ड पर वह काबिज हो। प्रकरण में प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहा है और यह भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाया है कि प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को केसर सिंह से खरीद किया था। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी के पक्ष में कोई अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो प्रार्थी उक्त विवादित भूखण्ड के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जाएगा, यह संभव होना प्रतीत नहीं होता है। साथ ही इस प्रकार का व्यादेश जारी नहीं किया जाता तो प्रार्थी को वास्तविक असुविधा होगी, यह भी संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते हैं।

## :: <u>आदेश</u> ::

06. प्रार्थी प्यारा सिंह पुत्र श्री सुरेण सिंह, निवासी सूरेवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सीपीसी **विरूद्ध** अप्रार्थीगण 1. चरण सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ 2. गुरदेव सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ 3. परमजीत सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ 4. कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ 5. गगनदीप पुत्र श्री गुरदेव सिंह, निवासी चक 1 एसआरडब्ल्यू तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(आशीष जयपाल)

07. आदेश आज दिनांक 22—04—2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आशीष जयपाल)